न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध वाद सं0–15/2013 मो0 मोजाहिर बनाम राज्य द्वारा अंचल अधिकारी, खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* विविध वाद संख्या–15/2013 मो0 मोनाहिर पें0 मो0 इसराईल साकिन–रावलपुर, थाना–गोरकाही, जिला–खगड़िया के आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। वादी का कहना है कि अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ निम्न भूमि का कब्जा के आधार पर बन्दोवस्ती पर्चा निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया था:–	

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
दक्षिण माड़र	552	189	126	261 280	00.57 00.48 01.05

उक्त आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पत्रांक 1051/रा0, दिनांक 13.12.2002 से अंचल अधिकारी, खगड़िया को बन्दोवस्ती की कार्यवाही हेतु भेजा गया। अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा बन्दोवस्ती वाद सं0 01/2006–07 दर्ज कर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

श्यामलाल राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, खगड़िया की जमीन को लेकर भू–हदबंदी वाद सं0 117/1981–82 चला जिसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 15 उप धारा–1 के तहत उक्त विद्यालय का कुल 24 एकड़ 38 डि0 जमीन प्रश्नगत आवेदित भूमि सहित अन्य विभिन्न खेसरा सहित सरकार द्वारा भूमि अर्जन की गयी तथा उक्त अर्जन के संबंध में जिला गजट अधिसूचना सं0 01/रा0, दिनांक 15.05.2000 को जमीन अर्जित होने का अधिसूचना प्रकाशित किया।

उक्त खाता खेसरा वाली भूमि पर अलग–अलग व्यक्ति पूर्व से ट्रस्ट की जमीन पर बटाईदारी करते आ रहे थे। जिसमें आवेदन भी हैसियत बटाइदार जोत आबाद में थे। भूमि अर्जित होने के उपरांत दावेदारों ने बन्दोवस्ती पर्चा हेतु आवेदन दाखिल किया जिस पर बन्दोवस्ती वाद सं0 61/2000–2001 में 23 व्यक्तियों का पर्चा निर्गत किया गया।

प्रश्नगत जमीन पर एक दूसरे व्यक्ति मो0 अताबुल ने दावा किया था लेकिन प्रश्नगत जमीन उनके दखल कब्जे में था और मो0 अताबुल का कब्जा नहीं था, इसलिए मो0 अताबुल को पर्चा नहीं दिया गया और अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बन्दोवस्ती प्रस्ताव

अस्वीकृत कर दिया गया।

अंचल अधिकारी, खगड़िया आवेदक के बन्दोवस्ती हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर बन्दोवस्ती हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को भेजा गया और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, खगड़िया को लौटा दिया गया।

अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में पूर्व विवरणी देते हुए प्रश्नगत जमीन दर बटवारा होने के हैसियत से कब्जा का उल्लेख करते हुए अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को भेजा गया। लेकिन पुनः अभिलेख को स्वीकृत किये बिना अंचल अधिकारी, खगड़िया को लौटा दिया गया।

आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, खगड़िया से अभिलेख की मांग कर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भू–हदबंदी वाद सं0 117/81–82 राज्य बनाम् श्याम लाल मैनेजिंग ट्रस्टी राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, खगड़िया की जमीन बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 15 उपधारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 11/रा0, दिनांक 12.05.2000 के द्वारा कुल 24 एकड़ 38 डिसमल जमीन अर्जित की गयी थी। उक्त अर्जित भूमि की बन्दोवस्ती वाद सं0 51/2000–2001 के द्वारा 24 व्यक्ति बटायदार के हैसियत से दखलदार था, जिसमें 21 व्यक्तियों के नाम से पर्चा निर्गत हुआ। सूची क्रमांक 21, 23, 24 के व्यक्तियों का पर्चा निर्गत नहीं हुआ। उन तीनों व्यक्तियों में से क्रमांक 23 एवं 24 के व्यक्तियों ने अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में विविध वाद दायर किया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के अनुशंसा के आधार पर क्रमांक 23 रजिया खानों जैजे इसराईन एवं क्रमांक 24 मो0 इसराईल उर्फ चमरू पे0 शरीफ उद्दीन के नाम से बन्दोवस्ती की स्वीकृति दी गयी। शेष बचे अताबुल पे0 शेख वासील के संबंध में प्रतिवेदन की मांग करने का आदेश दिया गया। अंचल अमीन के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मो0 शेख अताबुल मो0 वासील साकिन–सहुरी को प्रस्तावित भूमि पर उनका दखल कब्जा नहीं था और प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा रहने के कारण बन्दोवस्ती हेतु हेतु प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदन अस्पष्ट का उल्लेख करते हुए अंचल अधिकारी, खगड़िया से स्पष्ट प्रतिवेदन हेतु अभिलेख भेजने का आदेश दिया गया।

पुनः त्रुटि निराकरण कर अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा यह आदेश पारित करते हुए अभिलेख वापस कर दिया गया कि अंचल अमीन, खगड़िया के दिनांक 26.12.2002 के नापी प्रतिवेदन पर अंचल निरीक्षक, खगड़िया ने दिनांक 10.11.04 को

प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में राजस्व पर्षद के निदेशानुसार संबंधित भू–हदबन्दी वाद सामाहर्त्ता महोदय के यहाँ भेजा गया है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व उक्त भू–हदबन्दी वाद में पारित अंतिम आदेश के संबंध में जानकारी आवश्यक है। अभिलेख त्रुटिनिराकरण हेतु अंचल अधिकारी, खगड़िया को भेजें। इसी आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा बन्दोवस्ती हेतु आवेदन दिया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आवेदक वर्षो से उक्त भूमि पर जोत आबाद करते आ रहे हैं और दखल कब्जा में है और जब 23 व्यक्तियों को पर्चा दिया गया है तो उसे भी पर्चा निर्गत किया जाय।

राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि पर्चा नहीं मिलने का अपील नहीं हो सकता है। पर्चा देना प्रशासनिक निर्णय है। उक्त आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज योग्य है।

भूमि सुधार उप सामाहर्त्ता, खगड़िया के विविध वाद सं0–07/2007–08 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री श्यामलाल विद्यालय ट्रस्टी खगड़िया द्वारा माननीय राजस्व पर्षद, पटना में भू–हदबन्दी वाद सं0–117/1981–82 के विरूद्ध रिविजन दायर किया गया था। माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा रिविजन केस नं0–130/2002 में दिनांक 30.11.2005 को पारित आदेश में फेस जॉच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु रिमांड कर दिया गया है और मामला अभी भूमि सुधार उप सामाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में चल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का पर्चा निर्गत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

सामाहर्त्ता
खगड़िया

सामाहर्त्ता
खगड़िया